न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 75/2018

अनवान : —

1. विष्णु पुत्र हनुमान पौत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी त0 नाबालिग जरिए कुदरती इष्ट मित्र सगी माता शकुन्तला पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।

2. मोहित पुत्र सतवीर पौत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी नाबालिग जरिए कुदरती माता सरोज जाति जाट पत्नी सतवीर निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र मातुराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. हनुमान पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. सतवीर पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी —फौत।

3ए — सरोज पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।

4. अनिशा पुत्री सतवीर नाबालिग जरिए कुदरती माता सरोज जाति जाट पत्नी सतवीर निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
5. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा गांधीबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा। —अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

श्री धर्मपाल बैरवाल वकील प्रार्थीगण
श्री रतनसिंह धारीवाल वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि अप्रार्थी सं0 1 रामेश्वर प्रार्थीगण के दादा है जिन्हे उनके पिता से विरासतन चक 5 एसडीआर के खाता सं0 119/114 की कुल 1.4550है0, चक 7 एसडीआर के खाता सं0 154/143 के मु0न0 83 के किला न0 15 चक 4 एसडीआर के खाता सं0 88/88 की कुल 2.024 है0 एवं चक 2 एसडीआर के खाता सं0 96/90 की कुल 0.759है0 वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि को शामिल करते हुए अप्रार्थी सं0 1 को कुल 40 बिघा भूमि विरासतन प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी सं0 1 के दो पत्नी थी। जिनमें प्रथम पत्नी रेशमा से एक पुत्र बंशीलाल व तीन पुत्रीयां थी व दूसरी पत्नी चन्द्रपति से दो पूत्र हनुमान व सतवीर थे। अप्रार्थी स0 1 की पुत्रीयों [illegible] पहले अपना हक हिस्सा भाईयों के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया था। अतः कुल 40 [illegible] भूमि में अप्रार्थी सं0 1 के साथ–साथ तीनों पुत्रों के हिस्से में [illegible] कृषि भूमि आई। [illegible] पालना में अप्रार्थी सं0 1 ने अपने पुत्र बंशीलाल के नाम चक 21 एसडीआर के खाता सं0 56/51 की कुल 2.240है0 खातेदारी दर्ज करवा थी। लेकिन हनुमान व सतवीर के नाम 10–10 बीघा भूमि खातेदारी करवाने की बजाय 6–6 बीघा भूमि खातेदारी ही राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड में दर्ज करवायी है। जिसमें चक 19 एएमएस के खाता सं0 155/145 के मु0न0 21 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 व चक 2 एसडीआर के खाता सं0 120/114 के मु0न0 33 के किला न0 22 इस प्रकार कुल 6 बीघा अप्रार्थी हनुमान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें चक 2 एसडीआर के खाता सं0 120/114 के मु0न0 33 के किला न0 22 यानि 1 बीघा भूमि मन्जुदेवी पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी को जरिये बैयनामा बैचान कर दिया। व इसी प्रकार चक 19 एएमएस के खाता सं0 134/129 के मु0न0 22 के किला न0 10, 11, 20, 21, 22 एवं चक 2 एसडीआर के खाता सं0 111/104 के मु0न0 33 के किला न0 23 की कुल 6 बीघा अप्रार्थी सतवीर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायी जिसमें चक 2 एसडीआर के खाता सं0 111/104 के मु0न0 33 के किला न0 23 यानि 1 बीघा मन्जुदेवी पत्नी जयवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी को जरिये बैयनामा बैचान कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 रामेश्वर द्वारा अप्रार्थी सं0 2 व 3 को 10–10 बीघा की जगह केवल 6–6 बीघा ही भूमि दर्ज करवाने व अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के बैचान करने पर प्रार्थीगण के हक हिस्सा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। अतः प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि वे उक्त पैतृक संपति को खुर्द–बुर्द ना करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सूचना तलब किया गया। तामिल होने पर अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 4 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा में विरासतन कुल 40 बीघा कृषि भूमि आई है। मुताबिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अप्रार्थी सं0 1 के साथ–साथ अप्रार्थी के तीनों पुत्र भी बहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगण के पिता हनुमान व सतवीर को 10–10 बीघा भूमि की जगह केवल 6–6 बीघा भूमि ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायी है। जबकि एक अन्य पुत्र बंशीलाल के हिस्सा में 10 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायी है। प्रार्थीगण के पिता क्रमशः अप्रार्थी सं0 2 व 3 भी उक्त भूमि को उपरोक्तानुसार बैचान कर चुके है। प्रार्थीगण अपने पिता के हिस्सा में अपने हकों को सुरक्षित करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। चूंकि शेष पैतृक कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि [illegible] यथास्थिति बनायें रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:43:00 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त विवादित भूमि के सबंध में अप्रार्थीगण सतवीर, हनुमान एवं बंशीलाल ने एक

Scanned with OKEN Scanner

दावा न्यायालय सहायक कलक्टर भादरा में प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायालय द्वारा खारीज किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील सं0 52/2005 पेश की थी जो दिनांक 17.10.2005 को डीक्री हो गई। मुताबिक राजस्व अपील अधिकारी तीनों पुत्रों एवं अप्रार्थी रामेश्वर स्वंय को 10–10 बीघा भूमि के अनुसार खातेदार घोषित कर खाता व लगान अलग कायम किया गया था। अप्रार्थीगण वर्तमान में भी इसी अनुसार काबिज है व वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं0 3 की दिनांक 20.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है जिसकी हद तक दावा वादी अबैट हो चूका है। प्रार्थीगण दावा व प्रार्थना पत्र में क्लीन हैंड से नहीं आये है क्योंकि प्रार्थीगण को राजस्व अपील अधिकारी की पूरी पूरी जानकारी थी लेकिन तथ्यों को जानबुझकर छुपायें गये है और प्रार्थीगण अपने पिता के हक हिस्सा में अपने हकों की घोषणा करवा सकते है। वे अपने दादा अर्थात् अप्रार्थी सं0 1 रामेश्वर से किसी भी प्रकार से काई हिस्सा लेने के लिए न्यायालय में वाद दायर करने के कानूनी अधिकारी नहीं है। इस हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी ने सुशील अग्रवाल बनाम अनील अग्रवाल आरबीजे 2022 पेज 745, सुनील परिहार बनाम गणपत सिंह आरबीजे 2022 पेज 39 एवं अंकित बनाम ताराचंद 2017 आरआरटी पेज 1362 आदि नजीरे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारीज किया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली क ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थीगण की पैतृक संपति है और राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण के पिता के नाम उनके हिस्सा अनुसार प्रत्येक 10 बीघा के खातेदार है। और राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित डीक्री दिनांक 17.10.2005 से भी यह साबित है लेकिन अप्रार्थीगण स्वंय ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि उक्त डीक्री की पालना राजस्व रिकार्ड में नहीं हुई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। [illegible] सामान्य [illegible] यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया [illegible] असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया [illegible] साबित हो चुका है साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम 6–6 बीघा भूमि ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी और उसी में भी बैयनामा से बैचान किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की शेष भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यदि अप्रार्थीगण विवादित भूमि को बैय करते है तो अप्रार्थीगण के हक हिस्सा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 को भी यदि पूर्णतयाः पाबन्द किया जाता है तो उन्हे भी नियमित उपयोग–उपभोग में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि अप्रार्थी सं0 1 को अपने हिस्सा अनुसार यदि रहन करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है तो लेन–देन अथवा जीवनयापन में परेशानीयों का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं पत्रावली में अप्रार्थी सं0 3 सतवीर के फौत होने के कारण यदि प्रार्थीगण अथवा उसके जायज वारिसान राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाना चाहते है तो उसकी हद तक भी अस्थाई निषेधाज्ञा को लागु किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः सुविधा का संतुलन बिन्दु आंशिक दोनों पक्षों की ओर साबित है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन आंशिक रूप से, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्नानुसार स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित [illegible] आंशिक स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि रोही चक 5 एस[illegible] सं0 119/114 की कुल 1.4550है0 चक 7 एसडीआर के खाता सं0 [illegible] मु0न0 83 के किला न0 15 व चक 4 एसडीआर के खाता सं0 88/[illegible] 2.0[illegible]है0 चक 2 एसडीआर के 96/90 की 0.759है0 चक 19 एएमएस के [illegible] 135/145 की कुल 1.265है0 एवं चक 19 एएमएस के खाता सं0 134/1[illegible] [illegible]है0 भूमि को **ताफैसला वाद बैचान ना करें** एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] रहन एवं विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने की कार्यवाही हेतु पक्षकार स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 21-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.21 11:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner